

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक- 3531/11-सी- FP/UP/Road/157011/2022 लखनऊ, दिनांक: मई 30, 2025  
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),  
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:-जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0-000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/157011/2022

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/०७/२०२५/एफ०सी०/१८३, दिनांक-२०.०२.२०२५

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-3105/14-1, दि० 30.05.2025 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3531/11-सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3531/11-सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।



ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 3105 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 30/05/2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय :-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauni road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा०वा० प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (File No.-FP/UP/Road /157011/2022)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की पत्र संख्या-8B/UP/06/07/2025/FC/183 date. 20-02-2025 एवं आपकी पत्र संख्या-2398/11-सी, दिनांक 21.02.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद ने अपनी पत्र संख्या-3735/4-1, दिनांक 28-05-2025 द्वारा विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये विषयगत वांछित सूचना/अभिलेख सहमति सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 3105 / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उ०प्र०, बरेली।

2-प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं बिजनौर।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

01 ✓



कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

पत्रांक 3735 / 4-1 दिनांक, नजीबाबाद 28 मई, 2025

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to Kotdwar Pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana Lot-4 Package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा०भा० प्रभाग बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/ROAD/ 157011/2022)

संदर्भ:-

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/०६/०७/२०२५/एफ.सी./१८३ दिनांक २०.०२.२०२५ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या २३९८/११-सी दिनांक २१.०२.२०२५ एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना क्रियान्वयन इकाई-नजीबाबाद का पत्र सं० १७६२६ दिनांक २७.०३.२०२५।

महोदय,

सहायक वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प०का०ई०-नजीबाबाद के पत्र संख्या १७६२६ दिनांक २७.०३.२०२५ के द्वारा उपलब्ध करायी गई ई०डी०एस० की अनुपालन आख्या एवं अभिलेखों के आधार पर प्रकरण में अनुपालन आख्या एवं अभिलेखों को ऑनलाइन पार्ट-१ में यथा स्थान पर अपलोड कर निम्नवत् प्रेषित है:-

S.N.	EDS/Observations	Compliances
1.	As per the proposal, CA has been proposed in Non-Forest land but according to DSS the proposed CA falls under the Forest boundary. This needs clarification/rectification.	It is to submit that, 5.27 ha. CA land was proposed by NHAI in khasra No. 1215gh village- Sabalgarh, Tehsil- Najibabad, Distt. Bijnor. The said land was in the ownership of revenue department and as per revenue records (Annex-1) the said land is 6-4 category and is muted as दैड़। The joint verification was conducted with the officials of Revenue Department, Forest Department, Forest Settlement Office and NHAI on dated 28.02.2024 and demarcation of land was done in reference of Forest and Revenue land records. Copy of report of the joint verification/demarcation is enclosed (Annex-2). Further, it is to mention land suitability certificate (Annex-3) for the said land for CA was issued by DFO, Bijnor Forest Division, Najibabad after the verification of land in all aspects like section 20 & 48 and Forest/Revenue maps. After that, District Majistrate, Bijnor vide order dated 17.07.2024 (Annex-4) has muted the said land in the name of Forest Department, UP, Lucknow. Copy of latest Khatauni is enclosed (Annex-5). It is also to mention here that a joint verification/demarcation by the officials of Revenue Department, Forest Department and NHAI has also been re-conducted after the receipt of subject EDS from IRO, Lucknow on dated 10.03.2025 regarding to verify the said land parcel is in the ownership of Forest Department or not. The copy of report is enclosed (Annex-6) in which it is clearly mentioned that the earlier joint verification was right and subject land parcel was in the ownership of Revenue Department and out of the Forest



		boundary.
2.	Geo-referenced cadastral map overlaying with the proposed CA land polygon and forest boundary needs to be submitted.	Geo-referenced cadastral map overlaying with the proposed CA land polygon and forest boundary is enclosed as (Annex-7).
3.	Cross section plan of the project is not legible. This needs to be re-uploaded on PARIVESH portal with high DPI.	Legible copy of Plan and TCS have been uploaded on PARIVESH Portal and enclosed as (Annex-8).
4.	Since the forest land proposed for diversion under forest division Najibabad is part of notified Elephant Reserve. Thus, the comments from the Chief Wildlife Warden along with Wildlife mitigation plan needs to be submitted.	Wildlife mitigation plan is enclosed as (Annex-9). Comments received from chief wildlife warden and letter no 3232/26-11 of principal chief conservator of forest dated 27.05.2025 are attached herewith.
5.	5. NOC from the concerned dept. (like Irrigation, PWD, Railway etc.) needs to be submitted.	NOC obtained from Railway Department is enclosed as (Annex-10).
6.	Approval details of existing highway under VSESA, 1980 needs to be submitted.	Copy of Notification is Enclosed as (Annex-11).
7.	It is not clear from the proposal that what is the status of widening before & what is after proposed alignment.	The Proposed 4-Laning project is new alignment (Green Field) which a Bypass of Kotdwar Town. Proposed bypass starts from Najibabad Kotdwar- Pauri and Terminates at Kotdwar-Pauri Road.
8.	Detailed muck calculation & muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	Total length of the proposed project is 5.95 Km out of which Approx. 3.5 Km section is elevated. There is no cutting of -earth required, therefore, No muck will be generated. Muck Management Plan and Undertaking in this regards already submitted. (Annex-12).
9.	9. Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	The proposed bypass project is new (green field) alignment therefore, existing ROW is Nil and proposed ROW is 30 m. Plantation under the elevation portion of the proposed highway (as per space available within the PROW) will be carried out as per IRC Guidelines along National Highways.

अतः अनुपालन आख्या संस्तुति सहित में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

ARx

(अभिनव राज)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

संख्या 3735 /4-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2:- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प०का०ई०-नजीबाबाद।

ARx

(अभिनव राज)

प्रभागीय वनाधिकारी

बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

